

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ

// सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

क्रमांक /एल ए डी सी एस/ 2025

रायगढ दिनांक 07.03.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि -27/03/2025 संध्या 05 बजे तक

कार्यालय जिला सेवा विधिक प्राधिकरण रायगढ, जिला रायगढ (छ०ग०) के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल रायगढ के स्थापना हेतु नालसा के पत्र क्रमांक एल डी सी एस दिनांक 24.08.2022 की कंडिका 02 एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 7490 बिलासपुर दिनांक 11.11.2024 में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु मानव संसाधन Human Resources and Suproting Staff पदों के अतिरिक्त आवश्यकता के संबंध में निर्देशानुसार निम्नलिखित पद में निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

-:रिक्त पदों का विवरण:-

S.No.	Human Resources for a Legal Aid Defence Counse Office Raigarh	No.Reuired	Honorariam
1.	Office Assistant/Clerks	2	17,000/-
2.	Office Peon (Munshi/Attendant)	2	10,000/-

-: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(1) ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

- Educational Qualification: Graduation.
- Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.
- Good Typing speed with proper setting of petition.
- Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts,
- File maintenance and processing knowledge.

(2) ऑफिस प्यून/चपरासी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

- माध्यमिक शाला (कक्षा आठवीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

:- नियुक्ति व अवधि :-

उक्त पदों पर नियुक्ति संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagemnet) के रूप निश्चित / निर्धारित मानदेय पर ही की जावेगी, उक्त नियुक्ति जारी आदेश/नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये की जावेगी। नियुक्त किये गये स्टाफ की उपस्थिति नियमित, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा / सालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। नियुक्त किये गये कर्मचारी छ०ग० शासन द्वारा वर्तमान में, संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिये निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

:- आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

1. रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी।
2. अ- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब- कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

3. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक/आवेदिका की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अंतिम रूप से अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

5. आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
6. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
7. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
8. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
9. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. आवेदक को अच्छा चरित्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हता होगी।
11. उक्त पदों के अभ्यर्थियों के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा पांचवीं/आठवीं या दसवीं के प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण ही मान्य होंगे।

:- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें।
3. आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला विधिक प्राधिकरण रायगढ़ (छ.ग.) में रखे गये डाप बॉक्स में सीधे जमा करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र, कोरियर, ई-मेल या अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27.03.2025 की संख्या 05.00 बजे तक होगी।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27.03.2025 की संध्या 05.00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
7. आवेदक, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर यह माना जायेगा कि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज नहीं है और आवेदक को अपात्र मान लिया जायेगा। आवेदक को अपात्र करने एवं आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती क्रम में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे और तत्संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
8. आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्व प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करें तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
9. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र को निरस्त माना जायेगा।
10. आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र/चयन निरस्त किया जा सकेगा।
11. विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/raigarh> से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे।
12. ऑफिस असिस्टेंट/ क्लर्क के पद के लिए जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति तथा आफिस प्यून/चपरासी के पद के लिए जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक

होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।

14. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।

16. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी देंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रकम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त / समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

17. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुए दो रजिस्टर्ड लिफाफा मय अभिस्वीकृति पत्र सहित 25-25 (पच्चीस-पच्चीस) रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड लिफाफा डाक टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।

18. जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी, सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार छटनी के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/raigarh> पर अपलोड की जाएगी। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा वेबसाइट में भी दी जावेगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

19. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और कार्यालय के उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

20. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

1. विज्ञापित पदों के संबंध में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से Short-listing की जायेगी।

अभ्यर्थियों की 100 अंको की लिखित परीक्षा (जिसमें 100 बहुविकल्पिय प्रश्न होंगे) ली जा सकेगी एवं उक्त लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर एक पद के लिये 30 अभ्यर्थियों को Short-listing किया जावेगा तथा मेरिट में Short-listing किये गये अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य / कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

अथवा

ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर एवं ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर एक पद के लिये 30 अभ्यर्थियों को Short-listing किया जा सकेगा। मेरिट में Short-listing किये गये अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य / कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के छटनी (Short-listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी / सब कमेटी द्वारा निर्णित किया जा सकेगा, जो अंतिम होगा।

2. **ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के पद हेतु मुख्य / कौशल परीक्षा :-**

उपरोक्त पदों के चयन हेतु Short-listing किये गये अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों की मुख्य/कौशल परीक्षा भर्ती / चयन समिति जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ द्वारा आयोजित की जायेगी। कौशल परीक्षा में उम्मीदवारों को 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश / Matter को लगभग 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टंकित करना होगा। टंकण हेतु फॉन्ट साईज-14, लाई स्पेसिंग 1.5 तथा मार्जिन, टॉप, राईट, लेफ्ट, बॉटम 3.00 से.मी. निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा Ubuntu (18.04 या अधिक) ऑपरेटिंग सिस्टम में Libre Office में लिया जावेगा। यूनिक कोड हिन्दी (वेदमाता/Kruti dev) फॉन्ट का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थियों को नियत 10 मिनट की समय सीमा में उक्तानुसार टंकन करना

होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। टंकन के प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। टंकन हेतु निर्धारित फॉट, स्पेस, हेडिंग बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग आदि प्रत्येक अशुद्धि के लिये आधा अंक काटा जायेगा।

3. ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु :-

ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु Short-listing किये गये अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण के उपरान्त अभ्यर्थियों की 20 अंको की कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारित इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा।

4. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु भी समान होने पर ऑफिस असिस्टेंट / क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिये स्नातक में जिस आवेदक के प्राप्तांक / प्रतिशत ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा ऑफिस प्यून/ चपरासी के पद के लिये कक्षा आठवीं में जिस आवेदक के प्राप्तांक / प्रतिशत ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

:- चयन एवं प्रतीक्षा सूची :-


1. केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। उक्त चयन सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़, छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उम्मीदवारों की तैयार व जारी की गई प्रतीक्षा सूची जारी किये जाने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करने या उसके मृत्यु हो जाने उक्त पद के रिक्त हो जाने पर प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

2. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23 मु.म.नि./2014/1-7 दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

3. चयन सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट एवं प्रबंध कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा।

4. चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ को होगा।
6. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
7. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय रायगढ़ के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की सकेगी।
8. नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रीट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन किया जावेगा।
9. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।




अध्यक्ष

भर्ती चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
कार्यालय भृत्य
संविदा कर्मचारियों के पद पर नियुक्त हेतु

प्रति,

कार्यालय जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण रायगढ़ (छ०ग०)



1. आवेदित पद का नाम:.....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में):.....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)

3. लिंग पुरुष संकेतक- 1 महिला संकेतक- 2

4. पिता/पति का नाम:.....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :.....

(हिन्दी में):.....

(ब) स्थाई पता:.....

(अ) जन्मतिथि (अंको मे)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(शब्दों में):.....

(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु: वर्ष..... माह.....

आवेदक का मोबाईल नंबर:.....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है निवासी है। हां/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक.....

10. रोजगार कार्यालय का नाम.....

11. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शालाका नाम	प्रासांक	पूर्णांक	प्रतिशत/ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप:-प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें। प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/संलग्न नहीं।

1. 8 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
2. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र.....
3. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र.....
4. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र.....
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र.....
6. अन्य.....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाइल नं.-


ई-मेल-

(मोबाइल नंबर एवं ई.मेल अनिवार्य रूप से भरें)

आवेदन पत्र का प्रारूप
कार्यालय ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क /
संविदा कर्मचारियों के पद पर नियुक्त हेतु

प्रति,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायगढ़ (छ०ग०)



1. आवेदित पद का नाम:.....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में):.....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
3. लिंग पुरुष संकेतक- 1 महिला संकेतक- 2
4. पिता/पति का नाम:.....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :.....

(हिन्दी में):.....

(ब) स्थाई पता:.....

(अ) जन्मतिथि (अंको मे)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(शब्दों में):.....

(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु:वर्ष..... माह.....

आवेदक का मोबाईल नंबर:.....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है निवासी है। हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक,दिनांक.....
10. रोजगार कार्यालय का नाम.....
11. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्रासांक	पूर्णांक	प्रतिशत/ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप:-प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें। प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/संलग्न नहीं।

- 10 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
- 12 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
- स्नातक की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
- अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र.....
- छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र.....
- छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र.....
- जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र.....
- अन्य

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाइल नं.-

ई-मेल-

(मोबाइल नंबर एवं ई.मेल अनिवार्य रूप से भरें)